पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 191/2016

अनवान :

1. हरिसिंह पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सावित्री पत्नी देवीलाल
3. मनोज पुत्र देवीलाल
4. ममता पुत्र देवीलाल

सं0 2 से 4 जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. कृष्ण
2. बनवारी

पुत्रान दीपचन्द जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. दीपचन्द पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा। (डिलिट)
4. इन्द्रा पुत्री दीपचन्द पत्नी रूपचन्द जाति जाट निवासी कणाऊ हाल निवास खारिया तहसील व जिला हिसार।
5. आर.एम.यू. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. सब रजिस्ट्रार भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 2 श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के रोही मौजा की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता सं0 95/302 के खसरा सं0 135 की 4.6030 है0 खसरा सं0 293 की 10.0280 है0 व खसरा सं0 322 की 6.4500 है0 बारानी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 21.0810 है0 बारानी कृषि भूमि के वादी सं0 1 हरिसिंह 1/4 हिस्सा व वादी सं0 3 मनोज 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 बनवारी 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि वाद भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 बनवारी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा व वादी सं0 3 मनोज के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा व वादी सं0 1 हरिसिंह के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा की पूर्व प्रविष्टि कलमजन कर उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 हरिसिंह, वादी सं0 3 मनोज व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण, प्रतिवादी सं0 2 बनवारी प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4.1.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 191/2016

अनवान :

1. हरिसिंह पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सावित्री पत्नी देवीलाल
3. मनोज पुत्र देवीलाल
4. ममता पुत्र देवीलाल

जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. कृष्ण
2. बनवारी

पुत्रान दीपचन्द जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. दीपचन्द पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा। (डिलिट)
4. इन्द्रा पुत्री दीपचन्द पत्नी रूपचन्द जाति जाट निवासी कणाऊ हाल निवास खारिया तहसील व जिला हिसार।
5. आर.एम.यू. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. सब रजिस्ट्रार भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : **वादीगण**
वकील मुंशीराम गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 2**
निर्णय **दिनांक :** 4.1.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ की रोही मौजा की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता सं0 95/302 के खसरा सं0 135 की 4.6030 है0 खसरा सं0 293 की 10.0280 है0 व खसरा सं0 322 की 6.4500 है0 बारानी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 21.0810 है0 बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 दीपचन्द को अपने पिता श्योनन्द से प्राप्त हुई थी, श्योनन्द का देहान्त दिनांक 25.07.2012 को हो गया था, श्योनन्द की मृत्यु पर प्रतिवादी सं0 1 जो श्योनन्द की इकलौती सन्तान थी कुल भूमि उसके अकेले के नाम दर्ज हो गई, इस प्रकार विवादित भूमि पुश्तैनी व दादालाई कृषि भूमि है।

उक्त भूमि बाद में वादी हरिसिंह व उसके भाई देवीलाल, बनवारी, कृष्ण व वादी की बहन इन्द्रा व वादी के पिता दीपचन्द अर्थात् प्रतिवादी सं0 1 से 4 के प्रत्येक के बहिस्सा बराबर 1/6-1/6 हिस्सा भूमि दर्ज हो गई।

प्रतिवादीया सं0 4 ने पुश्तैनी कृषि भूमि में अपना विरासतन 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 बनवारी के पक्ष में दिनांक 16.02.2015 को हक त्याग कर दस्तबरदारी उसके पक्ष में निष्पादित करवा दी व इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 3 ने पुश्तैनी कृषि भूमि में विरासतन प्राप्त अपने 1/6 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में दिनाक 04.07.2016 को हक त्याग कर दस्तबरदारी उसके पक्ष में निष्पादित करवा दी। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में किया गया, हक त्याग पुरे खाते के लिए हक त्याग है, एवं उनके द्वारा किये गये हक त्याग पुरे खाते के लिए हक त्याग है एवं उनके द्वारा किये गये हक त्याग पूरे खाते में निहित हो गया क्योंकि पुश्तैनी संयुक्त खाता की भूमि में एक ही पूर्वज के वारिसान द्वारा किया गया हक त्याग उस पूर्वज के शेष वारिसों अर्थात् पुरे खाते के लिए हक त्याग होगा। इस प्रकार वादी सं0 1 ग्राम कणाऊ के खाता संख्या 95/302 की 21.0810 है0 बारानी कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा वादीया सं0 2 से 4 संयुक्त रूप से सम्भाग बहिस्सा बराबर 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं0 3 द्वारा दस्तबरदारी दिनांक 04.07.2016 को द्वारा प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में किया गया हक त्याग व इसी अनुसार प्रतिवादीया सं0 4 द्वारा दिनांक 16.02.2015 को प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में किया गया हक त्याग वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 अर्थात् पुरे खाते के पक्ष में किया गया हक त्याग है।

प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि उन्हे विरासतन प्राप्त हुई थी। इसलिए उनके द्वारा पुश्तैनी भूमि में किया गया हक त्याग अन्य सह–हिस्सेदारों के पक्ष में किया गया त्याग माना जायेगा। त्याग का तात्पर्य है कि सह–हिस्सेदार अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता है और त्याग करना चाहता है। त्याग किसी भी सूरत में हस्तान्तरण का रूप नहीं ले सकता है। त्याग से स्वतः ही शेष सह–हिस्सेदारों के हिस्से बढ जाते है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा किया गया हक त्याग पुरे खाते के प्रति हक त्याग है। परन्तु प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उक्त तथाकथित दस्तबरदारी दिनांक 04.07.2016 व दिनांक 16.02.2015 के आधार पर वाद भूमि में नामान्तरकरण संख्या 15,81,15,98 द्वारा वाद भूमि में कतई बमुकाबले हक हकुक वादीगण शुन्य व बेअसर है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपरोक्त नामान्तरकरण की प्रविष्टीयों के आधार पर वाद भूमि को तुरन्त वाद भूमि को रहन–बैय मुतकिल करने पर आमादा है। यदि वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि वे वाद भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3 दीपचन्द की मृत्यु होने के कारण उसका नाम डिलिट किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 को तर्क किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने न्यायिक उद्धरण एआईआर आन्ध्र प्रदेश पेज सं0 498 से 506 पेश किये एवं दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

2016/00095

हरिसिंह आदि बनाम कृष्णा आदि

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने दिनांक 04.07.2016 व 16.02.2015 को किये गये हक त्याग के विरूद्ध सभी सह हिस्सेदारान के पक्ष में समान रूप से विवादित कृषि भूमि की घोषणा करवाने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। चूंकि वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2 व 4 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। विवादित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है।

अत वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ के रोही मौजा की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता सं0 95/302 के खसरा सं0 135 की 4.6030 है0 खसरा सं0 293 की 10.0280 है0 व खसरा सं0 322 की 6.4500 है0 बारानी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 21.0810 है0 बारानी कृषि भूमि के वादी सं0 1 हरिसिंह 1/4 हिस्सा व वादी सं0 3 मनोज 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 बनवारी 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि वाद भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने पश्चात ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 बनवारी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा व वादी सं0 3 मनोज के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा व वादी सं0 1 हरिसिंह के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा की पूर्व प्रविष्टि कलमजन कर उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 हरिसिंह, वादी सं0 3 मनोज व प्रतिवादी सं0 1 कृष्ण, प्रतिवादी सं0 2 बनवारी प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़